

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.18(06)गृह-1/2017पार्ट

जयपुर, दिनांक 14.10.2022

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 63 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का निम्नानुसार गठन किये जाने की एतद् द्वारा राज्य सरकार घोषणा करती है:-

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. जस्टिस श्री एच.आर. कुडी | अध्यक्ष |
| 2. श्री गोपाराम मेघवाल, पूर्व विधायक | सदस्य |
| 3. श्रीमती सुनीता भाटी | सदस्य |
| 4. श्री अजीज दर्द, पाली | सदस्य |
| 5. श्री हवा सिंह घूमरिया | सदस्य-सचिव |
- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
कानून एवं व्यवस्था

(2) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इस आज्ञा की दिनांक से 02 वर्ष का होगा।

(3) समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.12.2013 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं अन्य सुविधाएं देय होगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गृह विभाग।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
7. जस्टिस श्री एच.आर. कुडी, अध्यक्ष
8. श्री गोपाराम मेघवाल, पूर्व विधायक, सदस्य
9. श्रीमती सुनीता भाटी, सदस्य
10. श्री अजीज दर्द, पाली, सदस्य
11. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, सदस्य-सचिव।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस